



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No: 176/NCRES/20

Date: 8.9.2020

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज


विषय:— आवधिक (Periodical) ट्रांसफर सम्बन्धी जारी आदेश निरस्त किया जाना।

- सन्दर्भ:— (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG) I-2020/ TR/2 दिनांक 12.5.2020
(2) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG) I-2020/TR/2 दिनांक 7.8.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि Covid-19 के संक्रमण का विस्तार बढ़ता जा रहा है लेकिन रेल कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। Covid-19 के विस्तार को देखते हुये ही NFIR के अनुरोध पर पीरिआडिकल ट्रांसफर के आदेश, जो क्रियान्वनित नहीं हुये थे, उन्हें 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने के लिये रेलवे बोर्ड ने दिनांक 7.8.2020 को आदेश जारी किया लेकिन बोर्ड के आदेश के बाद प्रधान कार्यालय और प्रयागराज, झांसी व आगरा मण्डल से वर्ष 2019 व 2020 में जारी पीरिआडिकल ट्रांसफर के आदेश जो क्रियान्वनित नहीं हुये थे, उन्हें रद्द नहीं किया गया।

यह भी अवगत कराना है कि पीरिआडिकल ट्रांसफर के आदेश प्रत्येक वर्ष जारी होते हैं, इसलिये NCRES का अनुरोध है कि वर्ष 2019 एवं 2020 में जारी पीरिआडिकल ट्रांसफर के आदेश जो क्रियान्वनित नहीं हुये, उन्हें रद्द करने के लिये, और मार्च 2021 के बाद जिन कर्मचारियों का पीरिआडिकल ट्रांसफर किया जाना हो, उनका आदेश अप्रैल-2021 के बाद जारी करने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करें।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि:— मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई. आर.), प्रयागराज